— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला कण्डारा से कांचूला गैन मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.00 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 8.00 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0-08वीं/यू0सी0पी0/06/229/2015/एफ0सी0/1420 दिनांक 12.10.2018 की शर्त सं0-1 के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला कण्डारा से कांचूला गैन मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.00 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम ग्वाड़ प0वृ0 कनखुल तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-21 के खसरा सं0-1268 रकबा 13.901है0 मध्ये 5.00है0 एवं खसरा सं0-1370 रकबा 6.219है0 मध्ये 3.00 है0 अर्थात कुल 8.00 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

435
LA (वन)
02-04-2019

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3573/छब्बीस-14 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 18 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, गोचर।

LAC

जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रति सहायक अभियन्ता (तृतीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(A) Ex. Engr.